

Inditipus
Dy. Sd/-
अध्यापक

21-9-23 पार्थी की ओर से प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत
धारा 151 C.P.C. वास्ते फ़ावली तलव
कर प्रार्थना-पत्र उत्थाहरण करने वाक्त्
पेश किया। पार्थी स्वयं उपस्थित। पार्थी
की पहचान वकील पार्थी द्वारा की गयी।
पार्थी ने पहचान स्वयं आधार कार्ड सं.
5117 0814 7186 की स्व उमाणित प्रति पेश
की।

चूंकि मूल उत्थाहरण की अनुमति दी
जा चुकी है, इस कारण प्रार्थना-पत्र में कोई
अनुतोष शेष नहीं रहा है। अतः पार्थी का
प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है।
फ़ावली फैसल नुमांर लोक नम्बर
से कम हो।

21.9.23

उपचण्ड अधिकारी
फ़ावली (अजमेर)

